

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4 (32)आकाशि/नि0सं0/2012/ 843

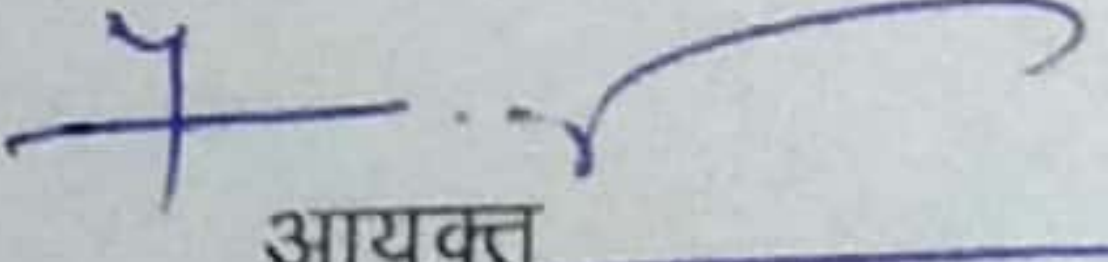
दिनांक:- 15/5/2019

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2017-18 एवं 2018-19 (दो सत्र) के लिए स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित संकाय व विषय में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	संचालित संकाय व विषय
मॉ. शारदे जनहिताएं सेवा संस्थान, गांगडतलाई, बांसवाड़ा।	मॉ. शारदे महाविद्यालय, गांगडतलाई, बांसवाड़ा-327601	गोविन्द गुरु जनजातिय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय- भूगोल हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी सा0, संस्कृत सा0, इतिहास, राजनीति विज्ञान।

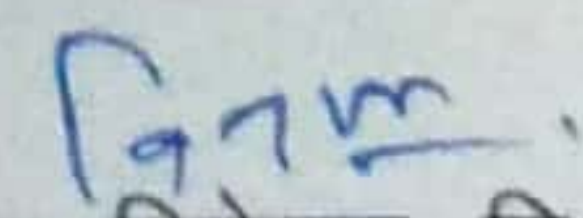
1. संस्था अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
2. संस्था सत्र 2019-20 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
3. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
5. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
6. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
7. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2019-20 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
10. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।


आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर बांसवाड़ा।
4. कुल सचिव, गोविन्द गुरु जनजातिय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा।
5. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त-निदेशक, नि.सं.
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर